राजस्थान उच्च न्यायालयजयपुर पीठ

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 8322/2022

नरेश दत्त शर्मा पुत्र केएस शर्मा, आयु लगभग 65 वर्ष, पीजीटी रसायन विज्ञान के पद से सेवानिवृत्त केवी डोगरा लाइन्स मेरठ (यूपी) निवासी 101/123, मीरा मार्ग, मानसरोवर , जयपुर 302020।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ , सचिव के माध्यम से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
2. संयुक्त आयुक्त प्रशासन केन्द्रीय विद्यालय संगठन , 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन , ग्रैंड परेड रोड, आगरा कैंट । आगरा अप 282001

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : सुश्री मनजीत कौर, एडवोकेट,
सुश्री इशिता कोठारी, एडवोकेट के साथ।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

30/04/2024

अवनीश झिंगन, जे

1. यह याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (इसके बाद 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 28.04.2024 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने 24.09.1985 को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में सेवा शुरू की और उसके बाद 15.10.1987 को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) रसायन विज्ञान के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता 30.09.2016 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। 07/04/2018 को पहली बार याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन 01.07.2016 को गलती से 85,800/- रुपये तय किया गया था, जबकि जूनियर व्यक्ति श्री यूबी पांडे, पीजीटी (रसायन विज्ञान) का मूल वेतन 88,000/- रुपये

तय किया गया था। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि श्री यूबी पांडे को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 11.12.2011 को चयन वेतनमान प्रदान किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने 2013 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण से संपर्क किया और मूल आवेदन खारिज होने पर वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादियों का यह कर्तव्य था कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करे। तर्क दिया गया है कि श्री यूबी पांडे याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, लेकिन उन्हें याचिकाकर्ता से पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और प्रतिवादियों की चूक के लिए याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को चयन वेतनमान प्रदान करने के लिए दिनांक 12.08.1987 के पत्र संख्या F.5-180/86-UT-1 द्वारा जारी मानदंडों की अच्छी जानकारी थी। तर्क यह है कि चयन वेतनमान प्रदान करने से पहले प्रत्येक शिक्षक को तीन सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक था।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित चयन वेतनमान प्रदान करने के मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

> "(i) संबंधित संवर्ग के वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
>
> (ii) शिक्षकों के चयन वेतनमान में पदों की संख्या संबंधित संवर्ग के वरिष्ठ वेतनमान में पदों की संख्या के 20% तक सीमित होगी।
>
> (iii) वरिष्ठ वेतनमान और चयन वेतनमान उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके संतोषजनक कार्यनिष्पादन की जांच के बाद दिया जाएगा।
>
> (iv) प्रत्येक शिक्षक को वरिष्ठ वेतनमान और चयन वेतनमान में पदोन्नत होने से पहले कम से कम तीन सप्ताह की अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा, अर्थात प्रत्येक छह वर्ष में एक बार।
>
> (v) चयन वेतनमान प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्राथमिक शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को उच्चतर योग्यता प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

6. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 05.01.2013 को सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद उसे चयन वेतनमान प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने 2011 से सेवानिवृत्ति तक यह

शिकायत नहीं की कि उससे पहले उसके कनिष्ठ को सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

7. वेतन निर्धारण के लिए कनिष्ठ के साथ मांगी गई समानता निराधार है। यह भेदभाव का मामला नहीं है। याचिकाकर्ता और श्री यूबी पांडे अलग-अलग तारीखों पर चयन वेतनमान के लिए पात्र हुए और उन्हें तदनुसार चयन ग्रेड प्रदान किया गया। 7. वेतन निर्धारण के लिए कनिष्ठ के साथ मांगी गई समानता निराधार है। यह भेदभाव का मामला नहीं है। याचिकाकर्ता और श्री यूबी पांडे अलग-अलग तारीखों पर चयन वेतनमान के लिए पात्र हुए और उन्हें तदनुसार चयन ग्रेड प्रदान किया गया। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।

8. याचिका खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

एचएस/रिया /1 रिपोर्ट योग्य :- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी